

## मैनहोल, सीवर के कारण मौतों पर एनएचआरसी ने मंत्रालय से रिपोर्ट मांगी

नई दिल्ली, एएनआइ: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सचिव को एक नोटिस जारी कर देशभर में मैनहोल, सीवर तथा सड़कों पर गड़ों की वजह से हुई मौतों पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

आयोग ने अपने आदेश में कहा है कि मुआवजा और सजा केवल सांत्वना हो सकती है, लेकिन अकारण ही इंसानों की मौत का विकल्प नहीं। यह बहुत ही दुखद है कि विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में इतनी तरक्की होने के बावजूद सीवेज की सफाई के लिए इंसानी हाथों पर ही निर्भरता बनी हुई है। आयोग ने काउंसिल फ़ार सांइटिफ़िक एंड इंडस्ट्रीयल रिसर्च (सीएसआइआर) के चेयरमैन को भी निर्देश दिया है कि उपयुक्त सिस्टम या समाधान के लिए किसी प्रयोगशाला को काम सौंपे जाने की संभावना पर एक विस्तृत रिपोर्ट दें। इसके बाद ही आगे की सुनवाई होगी।

## **मैनहोल, सीवर के कारण मौतों पर एनएचआरसी ने रिपोर्ट मांगी**

**नई दिल्ली, एएनआइ:** राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सचिव को एक नोटिस जारी कर देशभर में मैनहोल, सीवर तथा सड़कों पर गड़बों की वजह से हुई मौतों पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

### मैनहोल के कारण मौतों पर एनएचआरसी ने रिपोर्ट मांगी

नई दिल्ली: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सचिव को एक नोटिस जारी कर देशभर में मैनहोल, सीवर तथा सड़कों पर गड़बों की वजह से हुई मौतों पर रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने कहा है कि मुआवजा और सजा केवल सात्वना हो सकती है, लेकिन अकारण ही इंसानों की मौत का विकल्प नहीं। यह दुखद है कि इतनी तरक्की होने के बावजूद सीवेज की सफाई के लिए इंसानी हाथों पर ही निर्भरता बनी हुई है। (एएनआइ)